


कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

-: कार्यालय आदेश :-

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक: प.19(11)शिक्षा-2/2018 जयपुर, दिनांक 17.07.2019 द्वारा निम्नांकित कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति अल्पसंख्यक मामलात विभाग में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पर राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत एक वर्ष के लिए किये जाने की अनापत्ति संबंधी स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गई है कि अल्पसंख्यक मामलात विभाग उक्त पद वित्त विभाग से एक्स कैडर के रूप में स्वीकृत करावे अन्यथा एक वर्ष से आगे प्रतिनियुक्ति अवधि में अभिवृद्धि नहीं की जावेगी । शासन से प्राप्त अनापत्ति के अनुसरण में यदि उक्त कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति अल्प संख्यक अधिकारी के पद पर की जाती है तो विभाग को इसमें कोई आपत्ति नहीं है:-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	पद नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान
1	श्री श्याम लाल मीना	व्याख्याता (हिन्दी)	राउमावि, परीता जिला-करौली
2	श्री खेमचन्द्र शर्मा	व्याख्याता (हिन्दी)	राउमावि, पला, ब्लॉक कुम्हेर, भरतपुर
3	श्री शकील अहमद	व्याख्याता (उर्दू)	राउमावि, माणक चौक, जयपुर



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान


बीकानेर

दिनांक - 23.07.2019

क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था-4/सी-8/प्रतिनियुक्ति (अन्य)/2018/

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 शासन उप सचिव, स्कूल शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2 निदेशक, निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज., जयपुर
- 3 विशिष्ट सहायक, मा मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, वक्फ एवं जन अभियोग निराकरण विभाग, जयपुर
- 4 निदेशक, निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज., जयपुर
- 5 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक।
- 6 संबंधित संस्था प्रधान/नियंत्रण अधिकारी।
- 7 संबंधित कार्मिक।
- 8 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा।
- 9 रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर